

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 21.11.2022

1-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट. के अभियोग में वांछित/वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2022 को अभियुक्त- मोहम्मद सबरेज उर्फ मुन्ना मैट्रो पुत्र मो0 रहीश अहमद निवासी ग्राम शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को मोरना बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण -

दिनांक 16.06.2021 को अभियुक्त व उसके साथियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 495/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट. थाना सेक्टर 58 नोएडा पर पंजीकृत हुआ था। यह गैंग अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये दिल्ली, नोएडा एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी का अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित कर रहा था। जिसकी विवेचना आदेशानुसार उच्चाधिकारीगण प्रभारी निरीक्षक सेक्टर 24 द्वारा की जा रही थी। इस गैंग के सदस्य मोहम्मद सबरेज उर्फ मुन्ना मैट्रो पुत्र मो0 रहीश अहमद निवासी ग्राम शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद फरार चल रहा था। अभियुक्त सबरेज उर्फ मुन्ना मैट्रो को दिनांक 20.11.2022 को मोरना बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मोहम्मद सबरेज उर्फ मुन्ना मैट्रो पुत्र मो0 रहीश अहमद निवासी ग्राम शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

- १.मू०अ०सं० ६५९/२०२० धारा ४११/४१३/४१४/४२०/४६७/४६८/४२१/४८२/१२०बी/३४ भा०दं०वि० थाना सेक्टर ५८ नोएडा ।
- २.मु०अ०सं० ४९५/२०२१ धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट. थाना सेक्टर ५८ नोएडा ।
- 3.मु०अ०सं० ००९१/२०२२ धारा ४१/१०२ सी.आर.पी.सी. व ४११/४१४/४६८/४२० भा०दं०वि० थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।



2-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू व 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

थाना बादलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 21.11.2022 को अम्बेडकर पार्क रोड जंगल ग्राम बादलपुर से 02 वाहन चोर अभियुक्त 1. जीशान पुत्र हनीफ निवासी लाईब्रेरी के सामने सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली 2. अरबाज उर्फ जुनैद पुत्र करमतुल्ला खान निवासी चूडी बाली गली सुहेल चाय वाले का मकान सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के से 02 अवैध चाकू व 01 चोरी की मोटर साईकल रजि0नं0 डीएल 1एसजैड 1533 बरामद की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.जीशान पुत्र हनीफ निवासी लाईब्रेरी के सामने सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली
- 2.अरबाज उर्फ जुनैद पुत्र करमतुल्ला खान निवासी चूडी बाली गली सुहेल चाय वाले का मकान सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० ३४५/२०२२ धारा ४१४ भादवि ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

02 अवैध चाकू व एक चोरी की मोटरसाईकल रजि0नं0 डीएल 1एसजैड 1533

